# प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )
वाद सं0 : 1155 सन 2021
अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी जरिये अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला समिति निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. जयवीर उर्फ मांगेराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सुनिता पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील नोहर।
3. रेशमा पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. राजू उर्फ राजेराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. सोना पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. विकास पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. सुनिल पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. बिमला पत्नी जीवणराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88**
उपस्थित : श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
**निर्णय दिनांक :– 08.12.2021**

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 384/347 की कुल 12.6500हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हे जिसमें वादी का 3/50 हिस्सा दर्ज है जो वादी ने जरिये रजिस्ट्रड बैयनामा से खरीद किया गया था जिसमें गोशाला समिति के द्वारा चार दिवारी निकाल रखी है एवं पूर्ण रूप से वादी /गौशाला के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम सयुक्त खाते में दर्ज है।

वाद भूमि सयुक्त खाते में दर्ज होने के कारण वादी /गौशाला को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ का लाभ नही मिल पा रहा है जिससे वादी/गौशाला के खातेदारी हको का हनन होता हैव वादी अपने हक हिस्सा/कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 को कई मर्तबा कहा की वादी /गौशाला के हक हिस्सा की भूमि खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो मुश्तरका खाते में दर्ज है में से वादी/गौशाला के हक हिस्सा की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी/गौशाला एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी/गौशाला अपने हक हिस्सा एव खरीद की गई कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्डग में अलग से कायम करवाना चाहते है वादी के हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 ने अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया एवं पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी /प्रतिवादीगण की आपसी सहमति एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं मजमें आम की सहमति/जानकारी के आधार पर वाद का निस्तारण फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल/आपसी सहमति मजमे आम में होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गावं के संग अभियान – वर्ष –2021 कैम्प कोर्ट में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल/सहमति पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है तथा अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद न्यायायिक दृष्टान्तों एवं आपसी सहमति /मजमे आम की सहमति /जानकारी के आधार पर वाद वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षो को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 63/106 की कुल 6.7420हैक एवं रोही मौजा 2 जेएसएन के खाता संख्या 63/98 की कुल 0.3290हैक मं से 1/3 हिस्सा यानी 0.109हैक व रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 106/198की कुल 6.5400हैक में से 1/3 हिस्सा यानी 2.180हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी/गौशाल एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है वादी/गौशाला अपने हक हिस्सा /कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहते है वादी के कथनो को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी/गौशाला की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में इकबाल पेश किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है मुश्तरका खाते की भूमि का आपसी सहमति से खाता व लगान अलग अलग करवाने का अधिकारी है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 384/347 की कुल 2.6500हैक भूमि में से प0न0 387/414(321) के किला न0 11 ता 13 /0.759हैक भूमि का वादी/श्रीकृष्ण गौशाल समिति बरवाली का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावेयदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गावं कें संग अभियान वर्ष – 2021 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट... .बरवाली

## प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2021
## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र गणेशाराम जाति मेधवाल निवासी जरिये अध्यक्ष श्री कृष्ण गौशाला समिति निवासी बरवाली तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1 जयवीर उर्फ मांगेराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
2. सुनिता पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट साकिन सरदारगढिया तहसील नोहर।
3. रेशमा पत्नी जगदीश जाति जाट साकिन बरवाली तहसील नोहर।
4. राजू उर्फ राजेराम पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
5. रामकुमार पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
6. सोना पत्नी सुखराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
7. विकास पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
8. सुनिल पुत्र जीवणराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर।
9. बिमला पत्नी जीवणराम जाति जाट निवासी बरवाली तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**राजस्व वाद संख्या 1155 सन 2021 निर्णय दिनांक– 08.12.2021**

आज यह वाद प्रशासन गांव कं संग अंभियान वर्ष – 2021 कैम्प कोर्ट में मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 384/347 की कुल 2.6500हैक भूमि में से प0न0 387/414(321) के किला न0 11 ता 13 /0.759हैक भूमि का वादी/श्रीकृष्ण गौशाल समिति बरवाली का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किया जावेयदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.12.2021 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2021 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष– 2021
कैम्प कोर्ट....बरवाली